न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

1– श्रीमति लक्ष्मीबाई तनय फेरन यादव ,

2– श्रीमति कुसुम पत्नि सीताराम यादव ,

3– श्रीमति कमला पत्नि कल्लू यादव ,

निबासी ग्राम दिनउ , तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.................अपीलार्थीगण

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़

.... प्रतिअपीलार्थी

अपील अंतर्गत धारा 44/2 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

अपीलार्थीगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 736/बी121/2014–15 पारित आलोच्य आदेश दिनांक 06/08/2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के नाम से ग्राम दिनउ, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ में खसरा नं0 539/1 में रकवा 1.882 है0 राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज थी। जो उनके द्वारा जरिये वैनामा के दिनांक 26/08/1988 को कय की थी। तभी से वह उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं।

3– यह कि टीकमगढ़ से जतारा और जतारा से गांधीग्राम से निकलकर पूर्व दिशा की ओर भूमि पर बायपास रोड हिन्दोखर मौजा और जतारा की भूमि से होता हुआ उत्तर दिशा की ओर दिनउ मोजे से

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.................................जिला ..... टीकमगढ़.....

श्रीमती लक्ष्मी बाई / म०प्र० शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री राजेन्द्र पटेरिया उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता सहित धारा 5 एवं धारा 52 स्थगन आवेदन पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्र. 539/1 रकबा 1.882 हे० पटवारी अभि० में भूमि स्वामी दर्ज थी जिसे उनके द्वारा रजि० विक्रय पत्र से दिनांक 26.8.88 को क्रय किया था। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 30.4.15 की गलत विवेचना की गई है। सिविल न्यायालय में मुआवजे का प्रकरण लगाया गया था स्वत्व घोषणा के संबंध में नहीं, जिसे सिविल न्यायालय द्वारा दि० 30.4.15 द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेशों को निरस्त करने एवं प्रकरण सुनवाई हेतु ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। आवेदक अभि० द्वारा प्रस्तुत तर्कों के क्रम में मेरे द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का परीक्षण किया एवं अपर आयुक्त सागर (संभाग) द्वारा जारी आदेश दिनांक 6.8.15 का अवलोकन किया गया। आवेदक अभि० के तर्कों एवं निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में अपर आयुक्त सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 6.8.15 में विस्तृत विवेचना एवं विश्लेषण	

[क्र. प. उ.

R-2974-II/15

(8)

लक्ष्मीबाई / शासन

3/कुम2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर
	करते हुए आदेश पारित किया गया है ऐसी स्थिति में पुनः विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गये विश्लेषण एवं आदेश दिनांक 6.8.15 में सिविल न्यायालय के आदेश के क्रम में की गई कार्यवाही के आदेश पारित करने तथा सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 30-4-15 की अपील में पारित आदेश के पालन में कार्यवाही करने का जो आदेश पारित किया है वह उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रकरण में ग्राह्यता का कोई आधार नहीं है प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। सदस्य	

शाक्षेमुरवा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.